न्यायालय, जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, यज्ञमित्र सिंह देव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 01/2019 अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकाश चन्द पुत्र मालीराम, जाति महाजन गोयल, निवासी नाथूसर, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर, उचित मूल्य दुकानदार नाथूसर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

1. श्री इस्लामुदीन गौरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 02.01.2018 द्वारा जिला रसद अधिकारी, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 11 अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः—

(1) अपीलार्थी ग्राम पंचायत नाथूसर की उचित मूल्य की दुकान का डीलर है परन्तु प्रर्वतन निरीक्षक श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलार्थी से राजनैतिक रुप से दुश्मनी रखने वालों की गलत शिकायत पर जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र स्थगित कर अपीलार्थी को इस आशय का नोटिस जारी किया गया जिसका अपीलार्थी द्वारा विधिवत रुप से उत्तर प्रस्तुत किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आज्ञा दिनांकित 02.01.2018 द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने के आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांकित 02.01.2018 न्याय प्रकिया के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) प्रवर्तक निरीक्षक श्रीमाधोपुर द्वारा गलत रुप से निरीक्षण के समय अपीलार्थी को अनुपस्थित बताया गया है जबकि उस समय अपीलार्थी विधिवत रुप से दुकान पर राशन वितरण कर रहा था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा स्थानीय सरपंच से मिलकर गलत रिपोर्ट दी गई है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

(3) अपीलार्थी पर जिन राशनकार्ड धारियों के सन्दर्भ में गलत शिकायत की गई है उक्त शिकायत तत्कालीन सरपंच जो अपीलार्थी से राजनैतिक विद्वेषता रखता है, द्वारा कराई गई है। जबकि वर्णित राशन कार्डधारियों को विधिवत रुप से राशन दिया जाना प्रमाणित था कई बार दुकान पर कर्मचारी कम होने की वजह से रजिस्टर में दर्ज करने से चूक हो जाती है जो स्वाभाविक भूल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस स्थिति पर विचार किये बिना ही गलत रुप से आज्ञा पारित की गई है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज्ञा दिनांकित 02.01.2018 पारित करने से पूर्व इस स्थिति में कतई गौर नहीं किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने से कोई आधार मौजूद नहीं थे।

(5) अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांकित 02.01.2018 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कभी भी अपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गई और ना ही अपीलार्थी को प्राप्त हुई। दिनांक 24.01.2019 को अपीलार्थी के विरुद्व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में लंबित प्रकरण की पेशी अधीनस्थ न्यायालय में पूछने आने पर अपीलार्थी को पता चला की उसका प्राधिकर पत्र दिनांक 02.01.2018 को निरस्त किया जा चुका है तब अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर अपीलार्थी को इस तथ्य की जानकारी हुई।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांकित 02.01.2018 अपास्त करने के आदेश फरमावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस अपीलान्ट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि प्रवर्तक निरीक्षक श्रीमाधोपुर द्वारा गलत रुप से निरीक्षण के समय अपीलार्थी को अनुपस्थित बताया गया है जबकि उस समय अपीलार्थी विधिवत रुप से दुकान पर राशन वितरण कर रहा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा अपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गई ना ही अपीलार्थी को प्राप्त हुई। दिनांक 24.01.2019 को अपीलार्थी को पता चला की उसका प्राधिकर पत्र निरस्त किया जा चुका है अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकरी सीकर का आदेश दिनांक **02.01.2018** निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। प्रकाश चन्द बनाम जिला रसद अधिकारी सीकर बाबत जिला रसद अधिकारी की पत्रावली 965/2017 में उपलब्ध निरीक्षण रिपोर्ट दसतावेज में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। साथ ही जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा समस्त तथ्यों का गुणावगुण के आधार पर विवेचन उपरान्त पारित निर्णय का भी अवलोकन किया। प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमाधोपुर व जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा प्रकरण में समस्त तथ्यों का नियमों की परिधि में पूर्ण विवेचन किया गया है और उक्त जांच रिपोर्ट, दस्तावेज एवं आदेश में यह प्रमाणित है कि सम्बन्धित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा मौके पर 18 राशनकार्डों की ऑनलाईन ट्रांक्जेशन रिपोर्ट की जांच की गई है जिसमें 10.25 क्विंटल गेहूं 9 किग्रा. चीनी तथा 201 लीटर केरोसीन का गबन होना पाया गया है। अपीलान्ट द्वरा अपने जवाब में उक्त बिन्दु के परिपेक्ष्य में ऐसा कोई ठोस सबूत या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उक्त तथ्य गलत साबित होता है। इस परिपेक्ष्य में विवेचन करने पर जिला रसद अधिकरी सीकर का आदेश दिनांक **02.01.2018** में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

6. अतः अपील अपीलान्ट **खारिज** की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांकः **22 अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner